पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मीना देवी

बनाम

कैलाश देवी एवं अन्य

2023 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 185

06 मई, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या वाद प्रक्रिया के दौरान क्रेता को, सिविल मिस. 227/1996 में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था?
- क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित डिक्री के तहत चल रही निष्पादन प्रक्रिया के दौरान संपत्ति का स्थानांतरण खरीदार को कोई अधिकार देता है?
- क्या अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत दायर आवेदन को गलत रूप से अस्वीकृत किया?

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता का दावा केवल इस आधार पर है कि जिस भूमि को उसने खरीदा था, वह अनुसूची-II की संपत्ति का हिस्सा थी, जिसे कृष्णा दत्ता को आवंटित किया गया था, और वह ऐसा मकान नहीं था जिसे परिवर्तित डिक्री के अनुसार विभाजित किया जाना था। हालांकि, याचिकाकर्ता का यह दावा विद्वान सर्वे ज्ञान रखने वाले प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट के आलोक में टिकाऊ नहीं प्रतीत होता।(अनुच्छेद 32)

आदेश से यह स्पष्ट है कि केवल उन्हीं तृतीय पक्षों के अधिकारों की रक्षा की गई थी, जो परिवर्तित डिक्री पारित होने से पहले अस्तित्व में आए थे, और उसके पश्चात किए गए हस्तांतरण से किसी भी तृतीय पक्ष को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि कोई तृतीय पक्ष इस कारण प्रभावित होता है, तो वह अपने विक्रेता के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर सकता है, यदि उचित सलाह हो। इस कारण वादी एक ऐसा अधिकार लेकर विवाद कर रही है, जो प्रारंभ से ही उसके पास नहीं था। इसके उपरांत, प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट के आलोक में

खेसरा संख्याएँ 3205 से 3207 तक की संपत्ति का कब्जा दिए जाने के पश्चात याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई ऐसा विषय शेष नहीं रह जाता, जिसके आधार पर वह अपना दावा प्रस्तुत कर सके या उसका समर्थन कर सके। (अनुच्छेद 33)

याचिकाकर्ता को निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न विवाद में हस्तक्षेप करने का कोई भी आंशिक अधिकार प्राप्त नहीं है और उसका पक्षपक्षकार बनाए जाने का दावा केवल निराधार होने के कारण अस्वीकृत किया जाना उचित है। निष्पादन कार्यवाही में याचिकाकर्ता मात्र एक बाहरी व्यक्ति है, जो स्वयं को महत्वपूर्ण दिखाने के प्रयास में हस्तक्षेप करना चाहती है, इसलिए वह इस विविध वाद में पक्षकार बनाए जाने की पात्र नहीं है। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह विविध वाद एक पुरस्कार को निष्पादित करने हेतु दायर किया गया है, अतः ऐसी कार्यवाही में किसी तृतीय पक्ष द्वारा पक्षपक्षकार बनाए जाने का कोई अवसर नहीं है। इस संदर्भ में न्यायालय द्वारा "डेरा सही समाधान" मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता को वादग्रस्त संपत्ति पर स्वत्व, शीर्षक और कब्जे का दावा है, तो वह उपयुक्त कार्यवाही में विधिक उपाय अपना सकती है। (अनुच्छेद 34)

न्याय दृष्टान्त

धनलक्ष्मी बनाम पी. मोहन, (2007) 10 SCC 719; सैला बाला दासी बनाम निर्मला सुंदरी दासी, AIR 1958 SC 394; खेमचंद शंकर चौधरी बनाम विष्णु हरि पाटिल, (1983) 1 SCC 18; अमित कुमार शॉ बनाम फरीदा खातून, AIR 2005 SC 2209; धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम जयप्रकाश विश्वविद्यालय, (2001) 6 SCC 534; सावित्री देवी बनाम जिला न्यायाधीश गोरखपुर, AIR 1999 SC 976; शारदम्मा बनाम मोहम्मद प्यारेजान, (2016) 1 SCC 730; मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर, (2010) 7 SCC 417; डेरा साहि समाधान पटियाला बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (दीवानी विविध वाद संख्या 343/ 2023)

अधिनियमों की सूची

नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (आदेश 1 नियम 10(2); आदेश 26 नियम 10(2)); भारत का संविधान (अनुच्छेद 227)

मुख्य शब्दों की सूची

पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध; वाद प्रक्रिया के दौरान संपत्ति क्रय; संशोधित डिक्री; पारिवारिक बंटवारा विवाद; निष्पादन प्रक्रिया; आदेश 1 नियम 10 सीपीसी; पंच फैसला; आवासीय कब्जा; तृतीय पक्ष अधिकार

प्रकरण से उत्पन्न

आदेश दिनांक 12.12.2022, सिविल मिस. संख्या 227/1996, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-14, पटना द्वारा पारित; सिविल अपील संख्या 7475/1994 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित संशोधित डिक्री के निष्पादन से संबंधित।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री जितेन्द्र किशोर वर्मा, अधिवक्ता; सुश्री प्रतिभा गुप्ता, अधिवक्ता

प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 2 की ओर से: श्री अनुपम प्रभात श्रीवास्तव, अधिवक्ता

प्रत्युत्तरकर्ता संख्या 1, 5 से 10, 13 एवं 14 की ओर से: श्री राम अनुज प्रसाद सिंह, अधिवक्ता; श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का दीवानी विविध क्षेत्राधिकार संख्या 185

==========

मीना देवी, पति- स्वर्गीय कपिलदेव सिंह, निवासी- नुरुद्दीनपुर, थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना, वर्तमान में चक चंदा, थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना।

... ... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. कैलाश देवी पति- स्वर्गीय भागवत प्रसाद, पो. एवं थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना
2. गौरी शंकर प्रसाद पिता- स्वर्गीय भागवत प्रसाद, निवासी- खुशरूपुर पोस्ट एवं थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना
3. श्रीमती गीता देवी पति- राजेश्वर प्रसाद पिता- स्वर्गीय भागवत प्रसाद, निवासी मुर्चा रोड, बेगमपुर थाना-बेगमपुर, पटना सिटी, जिला-पटना
4. श्रीमती रीता देवी पिता- स्व. भागवत प्रसाद निवासी सैदपुर थाना-कदमकुआं, और जिला-पटना।
5. श्रीमती सुनीता देवी उर्फ मुन्नी पति- श्रीशरण साह, स्व भागवत प्रसाद, निवासी जमुई बाजार, थाना-जमुई, जिला-जमुई
6. श्रीमती रंजना देवी पति- स्वर्गीय विजय शंकर, निवासी चक हुसैन, थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना
7. विशाल कुमार पिता- स्वर्गीय विजय शंकर, थाना खुशरूपुर, जिला-पटना।
8. विश्वाश कुमार पिता- स्वर्गीय विजय शंकर, निवासी चक हुसैन, थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना।

9. विवेक कुमार पिता- स्वर्गीय विजय शंकर, निवासी चक हुसैन, थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना।

10. इंदु देवी पति- स्वर्गीय मूलशंकर प्रसाद, निवासी चक हुसैन, थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना।

11. मनीष कुमार पिता- स्वर्गीय मूलशंकर प्रसाद, निवासी चक हुसैन, थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना।

12. निशा कुमारी पति- श्री आशीष कुमार, पिता- स्वर्गीय मूलशंकर प्रसाद, निवासी चक हुसैन, थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना

13. रानु कुमारी, पति- रविशंकर गुप्ता, पिता- स्वर्गीय मूलशंकर प्रसाद, निवासी चक हुसैन, थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना।

14. रानी कुमारी पिता- मूलशंकर, निवासी चक हुसैन, थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना।

15. श्री ठाकुर सत्यदेव स्वामी जी ठाकुरवारी, ग्राम-चकचंदा, बैकटपुर, थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना,

16. लक्ष्मी देवी पति- कृष्ण दत्त, निवासी चक हुसैन, थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना

17. सुनील कुमार उर्फ पपू पिता- सोफ़ा स्वर्गीय कृष्णा दत्ता, निवासी चक हुसैन, थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना।

18. सुधीर कुमार उर्फ मुन्ना, पिता -सोफा स्वर्गीय कृष्णा दत्ता, निवासी चक हुसैन, थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना।

19. विनोद कुमार पिता- सोफ़ा स्वर्गीय कृष्ण दत्त, निवासी चक हुसैन, थाना - खुशरूपुर, जिला - पटना

20. पुनम देवी पति- स्वर्गीय श्रवण कुमार, पिता- स्वर्गीय कृष्णा दत्ता, निवासी चक हुसैन, थाना- खुशरूपुर, जिला-पटना।

21. विवेक कुमार पिता- स्वर्गीय श्रवण कुमार, स्वर्गीय कृष्णा दत्ता के नाती, निवासी चक हुसैन, थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना।

22. निखिल कुमार पिता- स्वर्गीय श्रवण कुमार कुमार, स्वर्गीय कृष्णा दत्ता के नाती, निवासी चक हुसैन, थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना।

23. वर्षा कुमारी उर्फ बबली पिता- स्वर्गीय श्रवण कुमार, नाना- स्वर्गीय कृष्ण दत्त, निवासी चक हुसैन, थाना-खुशरूपुर, जिला-पटना.

24. श्रीमती मंजू देवी, पति- अमरनाथ साह, पिता- स्वर्गीय कृष्णा दत्ता, निवासी- मोहल डालू चाक, थाना खगोल, जिला-पटना।

25. मुन्नी कुमारी, पति- सुनील कुमार, पिता- स्वर्गीय कृष्णा दत्ता, निवासी चैली ताल महाराजगंज थाना-आलमगंज, जिला-पटना।

26. गुरिया कुमारी, पति- अजय कुमार साह, पिता- स्वर्गीय कृष्ण दत्ता, निवासी चैली ताल महराजगंज, थाना- आलमगंज, जिला- पटना।

... ...प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री जितेंद्र किशोर वर्मा, अधिवक्ता
		सुश्री प्रतिभा गुप्ता, अधिवक्ता
प्रतिवादी 2 की ओर से	:	श्री अनुपम प्रभात श्रीवास्तव, अधिवक्ता
प्रतिवादी 1, 5 से 10,		
13 और 14 की ओर से	:	श्री राम अनुज प्रसाद सिंह, अधिवक्ता
		श्री अशोक कुमार, अधिवक्ता

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 06-05-2025

वर्तमान याचिका भारतीय संविधान की धारा 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान अपर जिला न्यायाधीश-XIV, पटना द्वारा विविध वाद संख्या 227/1996 में पारित दिनांक 12.12.2022 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत दीवानी प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 151 के साथ आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत दायर हस्तक्षेपकर्ता / याचिकाकर्ताओं की याचिका दिनांक 30.07.2010 को संहिता की धारा 151 के तहत कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर एक अन्य याचिका के साथ खारिज कर दी गई है।

2. अनावश्यक विवरणों से हटकर, याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने खाता संख्या 145, खेसरा संख्या 3205 क्षेत्रफल 4275 वर्ग फीट (3 डेसीमल), पत्र संख्या 763, खेसरा संख्या 3206 क्षेत्रफल 5 डेसीमल 145, खेसरा संख्या 3207 क्षेत्रफल 6 डेसीमल दिनांक 16.10.2008 को एक कृष्ण दत्ता, पिता- स्वर्गीय शिव लाल साव से पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से जमीन खरीदी थी। याचिकाकर्ता को भगवत प्रसाद और कृष्ण दत्ता के बीच विविध मामला संख्या 227/1996 के बारे में पता चला, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीवानी अपील संख्या 7475/1994 में दिनांक 10.10.1996 को पारित निर्णय/आदेश के आलोक में संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के संबंध में चल रहा है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्देशों के साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को संशोधित किया है। याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई प्रश्नगत भूमि विभाजन पुरस्कार की अनुसूची II संपत्ति का

हिस्सा होने के कारण कृष्ण दत्ता के हिस्से में आई और भूमि की प्रकृति 'खाई' है। याचिकाकर्ता का दावा है कि विभाजन पुरस्कार की अनुसूची और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, भूमि कृष्ण दत्ता के कब्जे और स्वामित्व में आई और याचिकाकर्ता ने प्रतिफल राशी का भुगतान करने के बाद इसे खरीद लिया और उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। विविध के लंबित होने के बारे में पता चलने के बाद। प्रकरण संख्या 227/1996 में, याचिकाकर्ता ने विविध प्रकरण संख्या 227/1996 में उसे पक्षकार बनाने के लिए संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) के अंतर्गत याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करने वाले प्रतिवादियों की ओर से याचिका का प्रत्युत्तर दायर किया गया था। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पक्षों की सुनवाई के बाद दिनांक 30.07.2010 को याचिका में कोई योग्यता न पाते हुए दिनांक 12.12.2022 के आदेश द्वारा उसे खारिज कर दिया। उक्त आदेश इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी है।

3. पक्षों के दलील में प्रवेश करने से पहले, विविध प्रकरण संख्या 227/1996 की स्थापना के लिए अग्रणी घटनाओं के कालक्रम का जायजा लेना लाभदायक होगा।

4. अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय बेंगा साओ के पुत्रों भागवत प्रसाद और कृष्ण दत्ता के बीच संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन को लेकर विवाद था। परिवार के शुभचिंतकों के हस्तक्षेप से मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया और तदनुसार मध्यस्थों (पंचों) ने 26.06.1970 को निर्णय सुनाया और 04.08.1970 को इसे पंजीकृत किया गया। इसके बाद भागवत प्रसाद और श्री ठाकुर सत्यदेव स्वामी जी महाराज ने सेवैत भागवत

प्रसाद के अधीन विद्वान उप न्यायाधीश द्वितीय, पटना की अदालत में न्यायालय का पंजीकृत निर्णय नियम बनाने के लिए शीर्षक वाद संख्या 54/1977/58/1978 दायर किया और भागवत प्रसाद ने 25.07.1978 को एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की। कृष्ण दत्ता ने विविध दायर किया। दिनांक 25.07.1978 की एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए केस संख्या 71/1979, जिसे बाद में दिनांक 13.12.1980 के आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया और शीर्षक वाद संख्या 54/1977/58/1978 को बहाल कर दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता के विक्रेता कृष्ण दत्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में विविध केस संख्या 383/1986 दायर किया, जिसमें डिक्री के हिस्से के रूप में पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.1994 के निर्णय और डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया था। फिर कृष्ण दत्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील संख्या 7475/1994 दायर की।

5. यह भी प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समझौता याचिका दायर की गई थी और समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.1996 को निम्नलिखित शर्तों के साथ आदेश पारित किया:

> *"पक्षकार सहमत हुए हैं कि पुरस्कार या डिक्री को संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें (i) फरवरी, 1970 के पुरस्कार के तहत सभी घर/भवन दोनों भाइयों के बीच समान रूप से*

विभाजित किए जाएंगे, यानी 50:50 (ii) सभी भूमि जो पुरस्कार की विषय वस्तु हैं, पुरस्कार में अनुसूची के अनुसार विभाजित रहेंगी, जिसका अर्थ है कि उस संबंध में पुरस्कार पूरी तरह से लागू किया जाएगा, एक पक्ष के पक्ष में पुरस्कार के तहत प्रदत्त शेबेटशिप का अधिकार बदल दिया जाएगा और अब आधा-आधा विभाजित किया जाएगा, यानी एक पक्ष के पास एक वर्ष में छह महीने होंगे और दूसरे पक्ष के पास शेष छह महीने होंगे। पंचाट की अनुसूची (III) के संबंध में वंशानुगत अधिकारों के अधीन एक वर्ष। यह वह सीमा है जिस तक पंचाट के तहत डिक्री संशोधित मानी जाएगी। चूंकि पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की है कि पंचाट के तहत सभी घरों/भवनों को दोनों भाइयों के बीच आधा-आधा बांटा जाएगा, इसलिए मेट्स और बाउंड्स द्वारा विभाजन एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से किया जाना होगा जिसे जिला न्यायाधीश, पटना द्वारा नामित किया जा सकता है। इसलिए, हम जिला न्यायाधीश, पटना को एक ऐसे व्यक्ति को नामित करने का निर्देश देते हैं जिसे वह घरों/भवनों के विभाजन के संबंध में डिक्री को प्रभावी करने के लिए उचित समझते हैं। जहां तक जमीनों का

सवाल है, हमें बताया गया है कि कुछ जमीनें एक पक्ष या दूसरे द्वारा बेची गई हैं और कुछ बची हुई हैं जो पंचाट के विषय हैं। जहां तक उन जमीनों का सवाल है, जिला न्यायाधीश द्वारा नामित व्यक्ति यह भी सुनिश्चित करेगा कि पंचाट के अनुसरण में किए गए डिक्री में निर्धारित शर्तों के अनुसार उन जमीनों का कब्जा संबंधित पक्षों को हस्तांतरित किया जाए। यह संशोधित आदेश है जिसे लागू किया जाना चाहिए और दोनों भाइयों के अधिकारों का समाधान किया जाना चाहिए। विभाजन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और कम से कम तीन महीने की अवधि के भीतर। दोनों पक्ष संशोधित डिक्री के तहत विभाजन को प्रभावी करने और लागू करने की लागत 50:50 के आधार पर जमा करेंगे जैसा कि जिला न्यायाधीश पटना द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

पक्षों ने संशोधित डिक्री की शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। अपीलकर्ता की ओर से, उनके बेटे, जिनके पास अधिकार है, ने शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। उनके वकील ने यह भी कहा कि उन्हें शर्तों के बारे में समझाया गया था और उन्होंने इस पर सहमति जताई है। वह व्यक्तिगत रूप से

मौजूद हैं और प्रतिवादी भागवत प्रसाद भी मौजूद हैं। उनके वकील ने भी शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरे पक्ष के अधिकारों के संबंध में, यदि कोई हो, यदि पक्ष तीसरे पक्ष के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे, अगर ऐसा सलाह दी जाती है।

6. दीवानी अपील संख्या 7475/1994 में पारित दिनांक 10.10.1996 के आदेश में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पटना के विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष विविध मामला संख्या 227/1996 संस्थित किया गया है।

7. यह भी पता चला है कि कृष्ण दत्ता और भागवत प्रसाद दोनों की मृत्यु हो गई है और मुकदमा उपरोक्त दो भाइयों के उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 26.06.1970 को पंचों/मध्यस्थों द्वारा दिए गए निर्णय में संपत्तियों को दो अनुसूचियों में रखा गया था। अनुसूची I में वर्णित अचल संपत्ति भागवत प्रसाद को आवंटित की गई थी और अनुसूची II में वर्णित अचल संपत्ति कृष्ण दत्ता को आवंटित की गई थी। प्रश्नगत भूमि जिसे हस्तक्षेपकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा खरीदा गया है, वह निर्णय की अनुसूची II संपत्ति में आती है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश/संशोधित डिक्री के अनुसार, अनुसूची-II भूमि कृष्ण दत्ता के कब्जे और स्वामित्व/हिस्से में थी, जिन्होंने इसे अपने बेटों और

बेटियों के साथ मेट्स और सीमाओं द्वारा विभाजित किया और प्रश्नगत भूमि कृष्ण दत्ता के अनन्य कब्जे में आ गई। हस्तक्षेपकर्ता/याचिकाकर्ता प्रश्नगत भूमि का वास्तविक खरीदार है और उसकी खरीद के बाद, वह इसके कब्जे में आ रही है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को पता चला कि प्लीडर कमिश्नर, जिन्हें पहले विविध केस नंबर 227/1996 में नियुक्त किया गया था, ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्रश्नगत भूमि को कृष्ण दत्ता के हिस्से में दिखाया गया था, लेकिन उक्त प्लीडर कमिश्नर ने कमीशन पूरा किए बिना नौकरी छोड़ दी। इसके बाद, एक और प्लीडर कमिश्नर नियुक्त किया गया। यहां तक कि इस प्लीडर कमिश्नर ने भी आपत्तिजनक सामग्री के साथ एक अधूरी रिपोर्ट दायर की और इस अधूरी रिपोर्ट पर कृष्ण दत्ता ने आपत्ति जताई। रिपोर्ट स्वीकार किए जाने से पहले ही प्लीडर कमिश्नर की मृत्यु हो गई। कृष्ण दत्ता की भी मृत्यु विविध मामला संख्या 227/1996 के लंबित रहने के दौरान हो गई और चूंकि उन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने बच्चों के साथ बंटवारा कर लिया था और उन्होंने अपना हिस्सा याचिकाकर्ता को बेच दिया था, इसलिए कोई भी विविध मामला संख्या 227/1996 पर मुकदमा चलाने में रुचि लेने को तैयार नहीं था और कोई भी याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता ने विविध मामला संख्या 227/1996 में अपनी पक्षकारिता का वैध रूप से दावा किया। तथापि, विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि याचिकाकर्ता के विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है तथा याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभियोग के आवेदन को गलत तरीके से खारिज

कर दिया तथा कहा कि याचिकाकर्ता अपने विक्रेता के विरुद्ध अपने अधिकारों के लिए उचित कानूनी उपाय करने के लिए स्वतंत्र है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों में संहिता के आदेश 26 नियम 10 (2) के प्रावधानों पर आगे विचार नहीं किया कि प्लीडर कमिश्नर की मृत्यु के पश्चात उनकी रिपोर्ट के बिन्दु पर उनकी जांच नहीं की जा सकती है, जिसे पहले ही चुनौती दी जा चुकी है तथा उक्त रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस कारण से विविध प्रकरण संख्या 227/1996 स्वयं खारिज किये जाने योग्य है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने गलत तरीके से माना है कि पुरस्कार/डिक्री के अनुसार किसी भी पक्ष द्वारा मुकदमे के विषय में भूमि का कोई भी हस्तांतरण शून्य घोषित किया जाएगा और विक्रेता पर संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विद्वान वकील ने यह तथ्य भी बताया कि पहले सर्वे जानने वाले प्लीडर कमिश्नर को हटाया नहीं गया था, बल्कि वह चले गए। पहले प्लीडर कमिश्नर की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई और यह अंतिम हो गई क्योंकि आपत्तियां भी खारिज कर दी गईं। इसके बाद, दूसरे प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति केवल कब्जा देने के लिए की गई थी। और, इसलिए, दूसरे सर्वेक्षण ज्ञाता प्लीडर कमिश्नर द्वारा तैयार की गई कोई भी रिपोर्ट जो प्लीडर कमिश्नर की पहली रिपोर्ट के उल्लंघन में है, उसे बनाए नहीं रखा जा सकता क्योंकि इससे रेस ज्यूडिकाटा लागू हो जाएगा और दूसरी रिपोर्ट रचनात्मक रेस ज्यूडिकाटा द्वारा वर्जित है, अगर दूसरी रिपोर्ट ने पहले प्लीडर कमिश्नर की पिछली रिपोर्ट को

बदलने की कोशिश की। विद्वान वकील ने दोहराया कि प्रश्नगत भूमि कृष्ण दत्ता के हिस्से में थी और इसलिए, कृष्ण दत्ता याचिकाकर्ता के पक्ष में संपत्ति को अलग करने के अपने अधिकारों के भीतर थे।

12. याचिकाकर्ता के दावे को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने ***धनलक्ष्मी और अन्य बनाम पी. मोहन और अन्य*** के मामले में ***(2007) 10 एससीसी 719*** में रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 और 6 के अविभाजित हिस्से को खरीदा है, सह-मालिक, अंतिम डिक्री कार्यवाही में अपने पक्ष में इक्विटी का निर्धारण करने के लिए रिकॉर्ड पर आने के हकदार हैं और अपीलकर्ताओं को मुकदमे के लिए आवश्यक और उचित पक्ष माना गया।

13. विद्वान वकील ने ***श्रीमती सैला बाला दास्सी बनाम श्रीमती निर्मला सुंदरी दास्सी और अन्य*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जो ***एआईआर 1958 एससी 394 = 1958 एससीसी ऑनलाइन एससी 140*** में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें क्रेता, जिसने बंधक डिक्री के निष्पादन से उत्पन्न कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की मांग की थी, को अतिरिक्त अपीलकर्ता के रूप में रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति दी गई थी।

14. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***खेमचंद शंकर चौधरी एवं अन्य बनाम विष्णु हरि पाटिल एवं अन्य (1983) 1 एससीसी 18*** के मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें यह माना गया है कि किसी अचल संपत्ति में हित के लिए लंबित हस्तान्तरित व्यक्ति, जो मुकदमे का विषय है, उस पक्षकार का हित प्रतिनिधि होता है, जिससे उसने

वह हित अर्जित किया है। हस्तान्तरित व्यक्ति को सीपीसी के आदेश 22 के नियम 10 के आधार पर कार्यवाही में पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने और कोई आदेश पारित किए जाने से पहले सुनवाई किए जाने का अधिकार है। यह भी माना गया है कि विभाजन का विषय संपत्ति के पक्षकार से हस्तान्तरित व्यक्ति हस्तान्तरणकर्ता के सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

15. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***अमित कुमार शॉ एवं अन्य बनाम फरीदा खातून एवं अन्य*** मामले में ***एआईआर 2005 एससी 2209*** में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिस पेंडेंस के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए यह माना था कि अचल संपत्ति में हित का पेंडेंट लाइट हस्तांतरिती उस पक्ष का हित-प्रतिनिधि होता है, जिससे उसने वह हित अर्जित किया है और वह मुकदमे या अन्य कार्यवाही में पक्षकार बनने का हकदार है, जहां पेंडेंट लाइट हस्तांतरिती को मुकदमे में पक्षकार बनाया जाता है, वह मामले के गुण-दोष के आधार पर मामले में सुनवाई का हकदार है।

16. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ***धुरंधर प्रसाद सिंह बनाम जय प्रकाश विश्वविद्यालय एवं अन्य (2001) 6 एससीसी 534*** के मामले में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी हित का हस्तांतरण होता है, तो मुकदमे को जारी रखने के लिए न्यायालय से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं माना गया। आदेश 22 का नियम 10 इस सिद्धांत पर आधारित है कि मुकदमे की सुनवाई केवल इसलिए समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि

मुकदमे के विषय में किसी पक्ष का हित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित हो गया है। आगे यह भी माना गया है कि यदि मुकदमे को जारी रखने के लिए न्यायालय से अनुमति लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो भी मुकदमे को मूल पक्ष द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जा सकता है और हित में उत्तराधिकारी डिक्री से बाध्य होगा और उसे इसका लाभ मिलेगा। आगे यह माना गया है कि किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी हित के हस्तांतरण के बाद मुकदमा जारी रखने की अनुमति न केवल उस व्यक्ति द्वारा मांगी जा सकती है जिस पर हित हस्तांतरित हुआ है, बल्कि वादी या कोई अन्य पक्ष या हितबद्ध व्यक्ति भी मांग सकता है। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सह-स्वामी से विक्रेता होने के नाते निस्संदेह हित-उत्तराधिकारी है क्योंकि उसके विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है और विक्रेता के वारिस/कानूनी प्रतिनिधि विविध मामला संख्या 227/1996 में मुकदमा चलाने में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं।

17. विद्वान अधिवक्ता ने ***सावित्री देवी बनाम जिला न्यायाधीश, गोरखपुर और अन्य*** के मामले में ***एआईआर 1999 एससी 976*** में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन व्यक्तियों को अभियोग में शामिल करने की अनुमति दी, जिन्होंने निषेधाज्ञा के आदेश के बावजूद संपत्ति खरीदी थी और हस्तांतरित व्यक्तियों को आवश्यक और उचित पक्ष माना गया था।

18. अंत में विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जो ***शारदाम्मा बनाम मोहम्मद प्यारेजान (मृत) अन्य*** के मामले में ***(2016) 1 एससीसी 730*** में रिपोर्ट कानूनी प्रतिनिधियों के

माध्यम से और किए गए मामले में था। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कार्यवाही जारी रखने के लिए आवेदन दायर करने में समनुदेशिती की विफलता के कारण, जैसा भी मामला हो, मुकदमे या अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है।

19. इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता है और इसे अलग रखा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए।

20. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क का संबंधित प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार विरोध किया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर वर्तमान दीवानी विविध याचिका तथ्यों के साथ-साथ कानून के आधार पर भी विचारणीय नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। दिनांक 12.12.2022 का आरोपित आदेश एक अच्छी तरह से विचार किया गया और अच्छी तरह से चर्चा किया गया आदेश है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

21. प्रारंभ में, प्रतिवादी के विद्वान वकील सं। 2, 5 से 7, 9, 10, 13 और 14 में प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने वह संपत्ति खरीदी जो कभी कृष्ण दत्ता के हिस्से में नहीं थी क्योंकि यह प्रतिवादियों की आवासीय संपत्ति है। सर्वेक्षण ज्ञाता अधिवक्ता आयुक्त, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पुरस्कार और संशोधित डिक्री के अनुसार कब्जा और घर देने के लिए नियुक्त किया गया था, ने 03.03.2001 सहित विभिन्न तिथियों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्लॉट

संख्या 3204, 3205, 3206 और 3207 का पूर्वी भाग भगवत प्रसाद को आवंटित किया गया था, जिन्हें 31.12.2000 को कब्जा दिया गया था और उक्त भूखंडों का पश्चिमी भाग कृष्ण दत्ता को दिया गया है। इन परिस्थितियों में, हस्तक्षेपकर्ता/याचिकाकर्ता को कार्यवाही में पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है।

22. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि भगवत प्रसाद के हिस्से में आवंटित कुछ संपत्तियां मुकदमे के लंबित रहने के दौरान और कब्जे की डिलीवरी के बाद भी कृष्ण दत्ता द्वारा बेची गई थीं। कृष्ण दत्ता ने पुरस्कार को विफल करने के लिए कई लोगों को फंसाया। ऐसा ही एक उदाहरण श्री पासवान और उनके बेटे को विविध मामले में पक्षकार बनाने और प्लॉट नंबर 529 पर उनके दावे का फैसला करने के लिए याचिका दायर करके फंसाना था, लेकिन इसे विद्वान जिला न्यायाधीश ने 27.11.1998 को खारिज कर दिया था। कृष्ण दत्ता ने वर्तमान विविध मामले में एक और याचिका दायर की। 11.04.1997 को अपनी दूसरी पत्नी उर्मिला देवी के माध्यम से प्लॉट संख्या 3204, 3205, 3206 और 3207 के संबंध में केस संख्या 227/1996 दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि ये प्लॉट उनके हैं और फिर से उक्त याचिका को दिनांक 03.04.1999 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद कृष्ण दत्ता ने 08.01.2001 को प्लॉट संख्या 3204, 3205, 3206 और 3207 पर अलग-अलग तख्ता बनाने पर आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की। 14.03.2001 को एक और याचिका दायर की गई, जिसमें प्लॉट संख्या 3204 से 3207 के संबंध में सर्वे नोइंग प्लीडर कमिश्नर के खिलाफ आरोप लगाए गए। भागवत प्रसाद ने दोनों आवेदनों पर जवाब दाखिल किया और दोनों आवेदनों पर सुनवाई हुई और 08.08.2003 को उनका निपटारा किया

गया, साथ ही एडवोकेट कमिश्नर को तत्काल और बिना किसी देरी के स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया।

23. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि घरेलू प्लॉट संख्या 3204 से 3207 पर अनन्य कब्जे का दावा करने के कई प्रयासों में विफल होने के बाद, कृष्णा दत्ता ने वर्ष 2008 में शरारती और बेईमानी से संपत्ति याचिकाकर्ता को बेच दी और हस्तक्षेपकर्ता/याचिकाकर्ता ने जानबूझकर संपत्ति खरीद ली और इस प्रकार उसने मुकदमा खरीद लिया।

24. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि यदि विक्रेता के पास भूमि और घर का कोई अधिकार, शीर्षक, हित और कब्जा नहीं है तो विक्रेता के पास भी ऐसी संपत्ति का कोई अधिकार, शीर्षक, हित और कब्जा नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, सर्वेयर प्लीडर कमिश्नर ने प्लॉट संख्या 3204 से 3207 सहित सभी अचल संपत्तियों का कब्जा पहले ही दे दिया है। जहां तक तीसरे पक्ष के हित का सवाल है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट है कि विद्वान जिला न्यायाधीश को किसी तीसरे पक्ष के दावे के मामले में भी कुछ नहीं करना है, जब तक कि इस कार्यवाही के पक्षकार ऐसा न चाहें। इन परिस्थितियों में, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को किसी तीसरे पक्ष के हित के किसी भी आवेदन या दावे पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, XIV, पटना द्वारा पारित विवादित आदेश कानूनी, वैध और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों के अनुसार है।

25. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आगे कहा कि भागवत प्रसाद को सर्वे नोइंग प्लीडर कमिश्नर की दिनांक 03.03.2001 की रिपोर्ट के अनुसार कब्जा दिया गया था और उनका नाम राज्य रिकॉर्ड में दिनांक 09.11.2005 के आदेश के अनुसार म्यूटेशन किया गया था और उन्होंने 2006-07 से 2017-18 तक बिहार सरकार को किराया जमा करना शुरू कर दिया था। अतः याचिकाकर्ता का यह दावा कि भूमि क्रय करने के पश्चात् उसे उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हुआ है, झूठा एवं निराधार है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मृतक भाइयों के वारिसों का नाम विविध प्रकरण संख्या 227/1996 में रिकार्ड पर आ चुका है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय को कब्जा वितरण की कार्यवाही में पक्षकार जोड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं संशोधित डिक्री का अनुपालन करना है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पक्षकारों को कब्जा वितरण पहले ही हो चुका है तथा विविध प्रकरण संख्या 227/1996 केवल प्लीडर कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की स्वीकृति के लिए लंबित है। विपक्षी की आपत्ति दिनांक 05.03.2016 को ही खारिज कर दी गई थी। अतः वर्तमान कार्यवाही में किसी तीसरे पक्ष को पक्षकार बनाने अथवा उसे चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

26. विद्वान अधिवक्ता ने डेरा सही समाधान पटियाला बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (दीवानी विविध संख्या 343/2023) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें इस न्यायालय ने निष्पादन कार्यवाही में किसी तीसरे पक्ष को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसने डिक्री-धारक के हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था।

27. इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 12.12.2022 का आरोपित आदेश कानून के अनुरूप है और आरोपित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

28. मैंने पक्षों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण पर अपना विचारशील विचार दिया है और अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

29. संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) में निम्न प्रकार लिखा है:-

> ***"10(2). न्यायालय पक्षकारों को हटा सकता है या जोड़ सकता है*** *– न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना, तथा ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हों, आदेश दे सकता है कि अनुचित रूप से सम्मिलित किसी भी पक्षकार का नाम, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, हटा दिया जाए, तथा ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम, जिसे सम्मिलित किया जाना चाहिए था, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, अथवा जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में सम्मिलित सभी प्रश्नों पर प्रभावी रूप से तथा पूर्ण रूप से निर्णय करने तथा निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, जोड़ा जाए।"*

30. उपर्युक्त प्रावधान न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को मुकदमे की कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षकार बनाने का विवेकाधिकार प्रदान

करता है, लेकिन इस विवेकाधिकार का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और यह कभी भी मनमाना या सनकी नहीं हो सकता।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (पी) लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स (पी) लिमिटेड*** में ***(2010) 7 एससीसी 417*** में रिपोर्ट मामले में पार्टियों को पक्षकार बनाने से संबंधित कानून पर चर्चा की है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 13, 14, 15, 22, 25 और 27 को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा:-

> *"13. पक्षकारों को पक्षकार बनाने के संबंध में सामान्य नियम यह है कि वादी, एक मुकदमे में डोमिनस लिटिस होने के नाते, उन व्यक्तियों को चुन सकता है जिनके खिलाफ वह मुकदमा करना चाहता है और उसे ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जिसके खिलाफ वह कोई राहत नहीं चाहता है। नतीजतन, एक व्यक्ति जो पक्षकार नहीं है, उसे वादी की इच्छा के खिलाफ पक्षकार बनाए जाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यह सामान्य नियम दीवानी प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") के आदेश 1 नियम 10(2) के प्रावधानों के अधीन है, जो उचित या आवश्यक पक्षों को पक्षकार बनाने का प्रावधान करता है। उक्त उप-नियम नीचे उद्धृत है:*
>
> *"10. (2) न्यायालय पक्षकारों को काट सकता है या जोड़ सकता है। - न्यायालय कार्यवाही के किसी भी*

चरण में, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या उसके बिना, और ऐसी शर्तों पर जो न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत हों, आदेश दे सकता है कि अनुचित रूप से सम्मिलित किसी भी पक्षकार का नाम, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, काट दिया जाए, और किसी ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे सम्मिलित किया जाना चाहिए था, चाहे वह वादी हो या प्रतिवादी, या जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में शामिल सभी प्रश्नों पर प्रभावी और पूर्ण रूप से निर्णय करने और निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो, जोड़ा जाए।

14. उक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में (विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमों सहित), किसी भी आवेदन पर या उसके बिना भी, और ऐसी शर्तों पर जो उसे उचित प्रतीत हों, निर्देश दे सकता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को भी पक्षकार के रूप में जोड़ा जा सकता है: (क) कोई भी व्यक्ति जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन शामिल नहीं किया गया; या (ख) कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में शामिल प्रश्नों पर प्रभावी और पूर्ण रूप से निर्णय लेने और निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है। संक्षेप में, न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को पक्षकार

के रूप में जोड़ने का विवेक दिया गया है जो आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष पाया जाता है।

15. एक "आवश्यक पक्ष" वह व्यक्ति है जिसे पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था और जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। यदि कोई "आवश्यक पक्ष" अभियोजित नहीं किया जाता है, तो मुकदमा स्वयं खारिज किया जा सकता है। एक "उचित पक्ष" वह पक्ष है जो, यद्यपि आवश्यक पक्ष नहीं है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में विवादित सभी मामलों पर पूरी तरह, प्रभावी और पर्याप्त रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, हालांकि उसे ऐसा व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है जो डिक्री के पक्ष में या उसके विरुद्ध हो। यदि कोई व्यक्ति उचित या आवश्यक पक्ष नहीं पाया जाता है, तो न्यायालय को वादी की इच्छा के विरुद्ध उसे अभियोग लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह तथ्य कि वादी के विरुद्ध मुकदमे का निर्णय होने के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा मुकदमे की संपत्ति में अधिकार/हित प्राप्त करने की संभावना है, ऐसे व्यक्ति को विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष नहीं बनाएगा।

22. आइए पक्षों को हटाने या जोड़ने के संबंध में आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी के दायरे और दायरे पर विचार करें। उक्त उप-नियम किसी गैर-पक्षकार को पक्षकार के रूप में शामिल किए जाने के अधिकार के बारे में नहीं है, बल्कि कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षों को हटाने या जोड़ने के न्यायालय के न्यायिक विवेक के बारे में है। उप-नियम के तहत विवेक का प्रयोग या तो स्वप्रेरणा से या वादी या प्रतिवादी के आवेदन पर या किसी ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर किया जा सकता है जो मुकदमे का पक्षकार नहीं है। न्यायालय किसी भी ऐसे पक्ष को हटा सकता है जो अनुचित रूप से शामिल है। न्यायालय किसी भी व्यक्ति को वादी या प्रतिवादी के रूप में जोड़ सकता है यदि उसे लगता है कि वह आवश्यक पक्ष या उचित पक्ष है। ऐसा हटाना या जोड़ना बिना किसी शर्त के या ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जिन्हें न्यायालय लागू करना उचित समझे। संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते समय न्यायालय निश्चित रूप से तर्क और निष्पक्षता के अनुसार कार्य करेगा न कि अपनी मर्जी और सनक के अनुसार।

25. दूसरे शब्दों में, न्यायालय के पास तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित पक्षकार होने का दावा करने वाले व्यक्ति के आवेदन को स्वीकार करने या

अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है और किसी भी व्यक्ति को यह आग्रह करने का अधिकार नहीं है कि उसे केवल इसलिए पक्षकार बनाया जाना चाहिए क्योंकि वह उचित पक्षकार है।

27. इस मामले के तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही उचित पक्षकार है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता न तो क्रेता है और न ही वाद संपत्ति का पट्टेदार है और उसका उसमें कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है। वाद में प्रथम प्रतिवादी-वादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ कोई राहत नहीं मांगी है। विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद में प्रभावी डिक्री पारित करने के लिए अपीलकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। न ही एएआई के खिलाफ प्रथम प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर विशिष्ट निष्पादन के लिए वाद में मुद्दे के पूर्ण और प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। एक व्यक्ति जो मुकदमे के खारिज होने की स्थिति में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवादी से पट्टा प्राप्त करने की उम्मीद करता है, उसे विवादित संपत्ति में कुछ हद तक स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है।

32. विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया है कि कब्जे की डिलीवरी पहले ही हो चुकी है और याचिकाकर्ता को आगे डिलीवरी नहीं दी जा सकती है। विद्वान निचली अदालत ने आगे कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा वाद का विषय बनने वाली भूमि का कोई भी हस्तांतरण, पंचाट/डिक्री की शर्तों के अनुसार शून्य घोषित किया जाएगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.10.1996 को सिविल अपील संख्या 7475/1994 में पारित आदेश के अनुसार अंतिम रूप से लागू हो गया। इन दो आधारों पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने विविध मामले में पक्षकार बनने की याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। अब, याचिकाकर्ता का दावा केवल इस आधार पर है कि उसने जो जमीन खरीदी है अनुसूची II संपत्ति का हिस्सा था, जिसे कृष्ण दत्ता को आवंटित किया गया था और यह एक घर नहीं था जिसे दीवानी अपील संख्या 7475/1994 में पारित संशोधित डिक्री दिनांक 10.10.1996 के अनुसार विभाजित किया जाना था। हालांकि, याचिकाकर्ता का यह दावा विद्वान सर्वेक्षण ज्ञाता अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट के मद्देनजर टिकने वाला नहीं लगता है। विद्वान सर्वेक्षण ज्ञाता अधिवक्ता आयुक्त श्री शिवानंद सिंह द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनसे पता चलता है कि प्लॉट संख्या 3205 से 3207 में घर थे। यदि तथ्य का यह निष्कर्ष है, तो इस न्यायालय के लिए विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का कोई अवसर नहीं है। याचिकाकर्ता का यह कहना कि पहले के अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया या बाद के अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्ति की गई है, बहुत महत्व नहीं रखता है। यदि कब्जे की डिलीवरी पहले ही हो चुकी थी और उसे चुनौती नहीं दी गई थी, तो सर्वेक्षण ज्ञाता अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट पर आपत्ति अभी भी लंबित होने

का कोई दावा बेकार होगा। किसी भी मामले में, यदि ऐसी आपत्ति लंबित है, तो जिस व्यक्ति ने आपत्ति दर्ज की है, वह संबंधित अदालत के समक्ष मामला उठा सकता है और अदालत आदेश पारित करके ऐसी याचिका का निपटारा कर सकती है। याचिकाकर्ता इस तथ्य का लाभ नहीं उठा सकता। हालांकि, रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिवक्ता आयुक्त शिवानंद सिंह की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली कृष्ण दत्ता द्वारा दिनांक 10.11.2003 को दायर याचिका को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश- III, पटना की अदालत ने दिनांक 05.03.2016 के आदेश के तहत खारिज कर दिया है, हालांकि इस आधार पर कि उस पर न तो हस्ताक्षर किए गए थे और न ही हलफनामे के साथ समर्थित थे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई संपत्ति कृष्ण दत्ता के हिस्से में नहीं थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7475/1994 में पारित दिनांक 10.10.1996 के आदेशों के अनुसार 50:50 के अनुपात में विभाजित की गई थी, तो तृतीय पक्ष होने के नाते, ऐसा वाद्लम्बित हस्तांतरण अमान्य है और याचिकाकर्ता को कोई अधिकार नहीं देता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कुछ अन्य व्यक्तियों की याचिका, जिन्हें इस आधार पर पक्षकार बनाया जाना था कि वे कृष्ण दत्ता से खरीदार थे, विद्वान निचली अदालत द्वारा दिनांक 03.12.2003 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी और उनकी आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया था।

33. इसके अलावा, संशोधित डिक्री के अधिदेश को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सिविल अपील संख्या 7475/1994 में पारित दिनांक 10.10.1996 के आदेश के लहजे और भाव से यह स्पष्ट है कि केवल उन्हीं तृतीय पक्षों के अधिकार सुरक्षित थे जो संशोधित डिक्री पारित होने से पहले बनाए गए थे और बाद के हस्तांतरण ने किसी तृतीय पक्ष को

कोई अधिकार प्रदान नहीं किया था और यदि कोई तृतीय पक्ष व्यथित है, तो ऐसा पक्ष, सलाह मिलने पर, अपने विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। इसी कारण से, वादी उस अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है जो उसके पास शुरू से ही नहीं था। तत्पश्चात, वादी आयुक्त की दिनांक 17.09.2003 की रिपोर्ट के अनुसार खेसरा संख्या 3205 से 3207 के संबंध में कब्ज़ा सौंपने के बाद, इस मामले में याचिकाकर्ता के लिए अपने दावे का समर्थन करने और विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं बचा।

34. इसलिए, यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता के पास निष्पादन कार्यवाही से उत्पन्न विषय वस्तु में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी नहीं है और उसका अभियोग लगाने का दावा बिना किसी सार के होने के कारण विफल हो जाएगा। निष्पादन कार्यवाही में, याचिकाकर्ता केवल एक हस्तक्षेपकर्ता है और एक दखलंदाज होने के कारण, वह विविध वाद संख्या 227/1996 में अभियोग लगाने की मांग नहीं कर सकती। इसके अलावा, चूंकि विविध मामला पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए स्थापित किया गया है, इसलिए किसी तीसरे पक्ष के लिए ऐसी कार्यवाही में पक्षकार बनने की कोई गुंजाइश नहीं है और ***डेरा साही समाधान*** (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ भी दिया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता मुकदमे की संपत्ति पर अधिकार, शीर्षक और कब्जे का दावा करता है, तो वह उचित कार्यवाही में कानून का सहारा ले सकता है, लेकिन तत्काल विविध मामले में नहीं।

35. इन तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मेरी यह राय है कि याचिकाकर्ता निष्पादन मामले संख्या 08/1987 से उत्पन्न विविध मामला संख्या 227/1996 में पक्षकार बनने के

लिए अपने पक्ष में मामला बनाने में विफल रही है। इस कारण से, याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत उद्धरण से कोई मदद नहीं मिल रही है क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत मामलों के तथ्यों से काफी भिन्न हैं।

36. इसलिए, मुझे विविध वाद संख्या 227/1996 में विद्वान अपर जिला न्यायाधीश-XIV, पटना द्वारा पारित दिनांक 12.12.2022 के आदेश में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं दिखती है और इसकी पुष्टि की जाती है।

37. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वी.के.पांडेय/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।